


5/2022

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	30.3.22	<p>वकील शर्मा उपस्थित । वकील शर्मा की तलाश हुनी गई । वकील शर्मा ने कलकत्ता में ठा.पत्र में वरिष्ठ लख्खे के भेदर ध्यान माफ़ी के पत्र पर जाहिर किया गया कि शर्मा का नाम मन्मथ सरकारी दस्तावेज के संकेत प्रकाश है तथा विकसित माराजी के राजू नाम होने का भी परमाणी होती है इसलिए रिपोर्ट में शर्मा का नाम काजू के पत्र पर न लिखा जाये किसे जाने हुए रिपोर्ट किया।</p> <p>इसने पत्रवाही के मलोकत किमि तथा दस्तावेज का रवलोकर किमि / लख्खे साहू की रिपोर्ट का रवलोकर किमि जाया किसे जाहिर किमि ममा कि सुनाया माराजी स.नं. 765 व 757 के शर्मा का गुप्त स्थिति काजू गुप्त कादीश प्रकाश शर्मा दर्ज होला सुवात माराजी शर्मा को जाले विमुक्त करे किमि हुन के द्वारा उलट होने से काजावकिमि में सुनात किमि जाना सम्भव नहीं होला बलाका हो पत्रवाही का रवलोकर व लख्खे साहू से उलट रिपोर्ट के आधार पर शर्मा का शर्मा का रवलोकर धारा 131 धारा 132 में घोषणा नहीं होने से जाहिर किमि जाया है। पत्रवाही के लख्खे साहू के पत्र साहित्य दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;">  उप सहायक अधिकारी शाहपुरा (राजपुर) राजस्थान </p>